कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1642 /XXV–12 /2008 (P–4) देहरादून : दिनांक 24 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

श्री सरजू प्रसाद त्यागी,
पिटीशन राईटर,
चैम्बर नं0–09, तहसील परिसर,
तहसील एवं जिला हरिद्वार

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित सूचना के क्रम में मु0नि0अ0 कार्यालय के पत्र संख्या–1372 दिनांक 19 नवम्बर, 2016 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, हरिद्वार के लोक सूचना अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, 04–सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

संख्या 1372/XXV–3/2016 देहरादून : दिनांक 19 नवम्बर, 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

विषयः– **विधान सभा के आगामी सामान्य निर्वाचन, 2017–अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में प्राप्त शिकायतों का प्रेषण।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 680 दिनांक 09 नवम्बर, 2016 के साथ संलग्न श्री सरजू प्रसाद त्यागी, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, चैम्बर नं0–09 तहसील परिसर, तहसील व जनपद हरिद्वार के शिकायती पत्र दिनांक 10.10.2016, जिसके माध्यम से उनके द्वारा श्री प्रेम चन्द्र, प्रधानाचार्य, विशिष्ठ औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान, रोशनाबाद, जनपद हरिद्वार का स्थानान्तरण के संबंध में उल्लेख किया गया है, की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझसे यह अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया प्रकरण की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0 संख्या – 1372/ XXV–3/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री सरजू प्रसाद त्यागी, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी, चैम्बर नं0–09 तहसील परिसर, तहसील व जनपद हरिद्वार को उनके वर्णित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

पत्रांक : 789 / रा.नि.आ.-1/2120 /2016

दिनांक ..09/12/..2016

राज्य निर्वाचन आयोग

सूचना के अनुरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण के लिए प्रपत्र

अनुभाग अधिकारी/
लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया श्री सरजू प्रसाद त्यागी, पिटीशन राईटर, चैम्बर नं0–9, तहसील परिसर, तहसील एवं जिला–हरिद्वार, उत्तराखण्ड का सूचना का अनुरोध पत्र दिनांक 03.12.2016 जो राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 08.12.2016 को प्राप्त हुआ है, की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है। कृपया अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोधकर्ता द्वारा आवेदन शुल्क रू0 10/–का भारतीय पोस्टल आर्डर जमा किया गया है।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

9.12.2016

(डी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी/
सहायक लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7534820709

संख्या– /रा0नि0आ0–1/2120/2016 तद्दिनांक।(पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री सरजू प्रसाद त्यागी, पिटीशन राईटर, चैम्बर नं0–9 तहसील परिसर, तहसील एवं जिला–हरिद्वार, मो0न0–9319034065

(डी0एस0रावत)
अनुभाग अधिकारी/
सहायक लोक सूचना अधिकारी।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास ,रिंग रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998
टैलीफैक्स : 0135 - 2670920 , 2678945
ई – मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

2120
8/12/16

775
8/12/16

पंजीकृत

समक्ष : माननीय उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून ।

विषय : लोक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अधीन विशेष परिस्थितियों में वांछित विवरण एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 10—10—2016 के निस्तारण के उपरान्त पारित आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराया जाना।

विशेष : प्रश्नगत प्रकरण उत्तराखण्ड शासन के अधीनस्थ तीन वर्षों से अधिक एक ही पद एवं एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों के एक जनपद से अन्य जनपदों में माननीय निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून के आदेशों के अनुपालन में तीन वर्ष से अधिक कार्यरत अधिकारियों का अन्यत्र दूसरे जनपदों में स्थानान्तरण होना अनिवार्य है।

महोदय,

प्रस्तुत महत्वपूर्ण प्रकरण में इस तथ्य को आपके संज्ञान में लाया जाना अनिवार्य है कि वास्तविक तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र जनपद हरिद्वार में कार्यरत अधिकारी/प्रधानाचार्य श्री प्रेमचन्द, विशिष्ट राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रोशनाबाद, हरिद्वार की जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि दिनांक 03—10—2010 से सम्बन्धित है और श्री प्रेमचन्द, प्रधानाचार्य के पद पर अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में माननीय आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन उत्तराखण्ड सचिवालय के सम्बन्धित विभाग प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा—2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के स्तर से स्थानझन्तरण आदेश जारी किया जाना अनिवार्य है।

669/31/PS/16
लोक सूचना अधिकारी

08-12-16
(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड

ARO (Infor.)

2— यह कि अनुरोधकर्त्ता द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 10—10—2016 की प्रतिलिपि 1—निदेशक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल, 2—मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड एवं 3—डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिला हरिद्वार मुख्यालय रोशनाबाद हरिद्वार को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी।

8/12/2016

Received
8/12/16

.....2

परन्तु अनुरोधकर्त्ता के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही एवं स्थानान्तरण आदेश पारित नहीं किये गये हैं। जिससे माननीय उत्तराखण्ड निर्वाचन आयोग मुख्यालय देहरादून के निर्देशों/आदेशों का उल्लंघन परिलक्षित हो रहा है।

ऐसी स्थिति में जबकि माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेशों के अनुपालन में शासन के अधीनस्थ अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश जारी हो चुके हैं। कानून सभी के लिए समान है। अतः अनुरोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10–10–2016 पर लिये गये एवं कृत कार्यवाही कार्यालय की टिप्पणी सहित वांछित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

निर्धारित शुल्क भारतीय पोस्टल ऑर्डर अंकन रू0 10/– संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। अतिरिक्त शुल्क आपके कार्यालय से सूचना प्राप्ति के उपरान्त जमा करवा दिया जायेगा।

अनुरोधकर्त्ता,

दिनांक : 3-12-2016

SP Tyagi

(सरजू प्रसाद त्यागी)
पिटीशन राईटर
चैम्बर नं0 9, तहसील परिसर,
तहसील एवं जिला–हरिद्वार
मो0 नं0 9319034065

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 1641 /XXV–12 /2008 (P–3) देहरादून : दिनांक 24 दिसम्बर, 2016

सेवा में,

श्री देवेश,
273, देहरादून रोड़, ऋषिकेश।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत चाही गयी सूचना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके सूचना के अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम सें आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वांछित सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

1. बिन्दु संख्या–01 में चाही गयी विधान सभा निर्वाचन 2002, 2007 एवं 2012 में आदर्श आचार संहिता लागू एवं समाप्त होने की तिथि निम्नलिखित हैः–
   1. विधान सभा निर्वाचन–2002 – दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 से 28 फरवरी, 2002 तक
   2. विधान सभा निर्वाचन–2007 – दिनांक 29 दिसम्बर, 2006 से 02 मार्च, 2007 तक
   3. विधान सभा निर्वाचन–2012 – दिनांक 24 दिसम्बर, 2011 से 09 मार्च, 2012 तक
2. बिन्दु संख्या–02 एवं 06 में चाही गयी सूचना समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय, उत्तराखण्ड से संबंधित होने के फलस्वरूप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के अर्न्तगत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित किया गया है।
3. बिन्दु संख्या–03 एवं 04 में चाही गयी सूचना के क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 17 एवं 18 की प्रति संलग्न प्रेषित है।
4. बिन्दु संख्या–5 में चाही गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि चाही गयी सूचना कार्यालय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। अतः वांछित सूचना शून्य समझी जाय।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैंः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड,
04–सुभाष रोड़,सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

पृ0संख्या 1641 /XXV–12(1–5)/2008, तद्दिनांक।

1. प्रतिलिपिः– लोक सूचना अधिकारी, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि बिन्दु संख्या–02 एवं 06 पर वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(मस्तू दास)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

[1][परन्तु वर्ष 1989 में इस भाग के अधीन हर निर्वाचक नामावली की तैयारी या पुनरीक्षण के संबंध में, "अर्हता की तारीख" 1989 की अप्रैल का पहला दिन होगी ।]]

15. हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली---हर निर्वाचन-क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी ।

16. निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हताएं --- (1) यदि कोई व्यक्ति---

(क) भारत का नागरिक नहीं है ; अथवा

(ख) विकृतचित्त है और उसके ऐसा होने की सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है; अथवा

(ग) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट [2]*** आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिए तत्समय निरर्हित हैं,

तो वह निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए निरर्हित होगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् जो कोई व्यक्ति ऐसे निरर्हित हो जाता है, उसका नाम निर्वाचक नामावली में से तत्काल काट दिया जाएगा जिसमें वह दर्ज है :

[3][परन्तु किसी निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में से जिस व्यक्ति का नाम उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निरर्हता के कारण काटा गया है यदि ऐसी निरर्हता उस कालावधि के दौरान, जिसमें ऐसी नामावली प्रवृत्त रहती है, किसी ऐसी विधि के अधीन हटा दी जाती है जो ऐसा हटाना प्राधिकृत करती है तो उस व्यक्ति का नाम तत्काल उसमें पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ।]

17. एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा---एक से अधिक निर्वाचन-क्षेत्र के लिए [4]*** निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

18. किसी निर्वाचन-क्षेत्र में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा---किसी निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार न होगा ।

[5][**19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें**---इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अध्यधीन यह है कि हर व्यक्ति जो---

(क) अर्हता की तारीख को [6][अठारह वर्ष] से कम आयु का नहीं है; तथा

(ख) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है,

उस निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए हकदार होगा।]

20. "मामूली तौर से निवासी" का अर्थ---[7][(1) किसी व्यक्ति की बाबत केवल इस कारण कि वह निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निवास गृह पर स्वामित्व या कब्जा रखता है यह न समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी है ।

(1क) अपने मामूली निवास-स्थान में अपने आपको अस्थायी रूप से अनुपस्थित करने वाले व्यक्ति की बाबत केवल इसी कारण यह न समझा जाएगा, कि वह वहां का मामूली तौर से निवासी नहीं रह गया है ।

---

[1] 1989 के अधिनियम सं0 21 की धारा 3 द्वारा (28-3-1989 से) अंतःस्थापित।

[2] 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा "और अवैध" अंतःस्थापित शब्दों का 1960 के अधिनियम सं0 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा लोप किया गया।

[3] 1950 के अधिनियम सं0 73 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

[4] 1956 के अधिनियम सं0 2 की धारा 12 द्वारा "उसी राज्य में" अंतःस्थापित शब्दों का 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 6 द्वारा लोप किया गया।

[5] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 7 द्वारा धारा 19 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] 1989 के अधिनियम सं0 21 की धारा 4 द्वारा (28-3-1989 से) "इक्कीस वर्ष" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 8 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय–मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने हेतु।

महोदय,

कृपया प्रार्थी को निम्न सूचना देने का कष्ट करें –

1. यह कि वर्ष 2002, 2007 एवं 2012 के सम्पन्न हुए तीनों उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा चुनावों में राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता जिस तिथि को लागू हो गयी थी, उस तिथि की सूचना तथा जिस तिथि तक आचार संहिता जारी रही, उसकी भी सूचना।

2. यह कि उपरोक्त तीनों सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों में सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले सभी दलों के प्रत्याशियों की सूचना मय प्राप्ति मतों की सूचना भी वांछित है।

3. यह कि यदि किसी मतदाता का नाम राज्य की दो विधानसभा की निर्वाचन नामावली में है और वह दोनों जगहों पर मतदान करता है तो उस मतदाता के विरुद्ध जो कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, उसकी सूचना।

4. यह कि यदि किसी मतदाता का नाम एक ही विधानसभा निर्वाचक नामावली में दो भिन्न–भिन्न स्थानों पर दर्ज हो तो उसके विरुद्ध जो कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है, उसकी सूचना।

5. यह कि उत्तराखण्ड में सम्पन्न हुए पिछले तीन विधानसभा चुनावों, लोकसभा चुनावों (2004,2009 एवं 2014) एवं विधानसभा उपचुनावों में कोई ऐसा प्रकरण सामने आया हो जिसमें एक ही दिन में किसी मतदाता ने दो क्षेत्रों में मतदान किया हो और उसके विरुद्ध निर्वाचन आयोग ने वैधानिक कार्यवाही की हो तथा इसी तरह एक ही विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दो जगहों पर मतदाता का नाम दर्ज किया गया हो तो निर्वाचन आयोग द्वारा उसके विरुद्ध जो कानूनी कार्यवाही की गयी हो, तो उसकी भी सूचना देवें।

6. यह कि उत्तराखण्ड राज्य के सभी 13 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारियों के बारे में सूचना। यथा–अधिकारी/कर्मचारी का नाम, जन्मतिथि, प्रथम नियुक्ति तिथि, वर्तमान जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में तैनाती तिथि सहित सूचना।

दिनांक : 12/12/2016

प्रार्थी

Devesh

(देवेश)

273, देहरादून रोड, ऋषिकेश

संलग्न–

रु0 10/– का पो0आ0 संख्या- 37F 691655.